राजस्थान सरकार
नगरीय विकास निगम

क्रमांक : पं. 3 (28) न.वि.वि./3/96 जयपुर, दिनांक : 25 मई, 2000

परिपत्र

विषय : भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

राज्य के विभिन्न जिला कलेक्टरों/संभागीय आयुक्तों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बारे में नगर विकास न्यास क्षेत्रों के लिये निर्देश चाहे जा रहे हैं। इस संबंध में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :-

1. धारा 73 (बी) राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम के तहत भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में संशोधन विचाराधीन है। अत: राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000, जिनका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 4 अप्रेल, 2000 को हुआ है, नगर विकास न्यास क्षेत्रों में भी निम्न संशोधनों के साथ प्रभावी होंगे। उक्त नियमों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

2. उपरोक्त नियमों के नियम 5 (1) (ङ) में सदस्य सचिव, नगर सुधार न्यास सचिव होंगे। इसी अनुरूप राज्य स्तरीय समिति में नियम 5(III) (घ) में सचिव, नगर सुधार न्यास सदस्य होंगे। इसका अलावा नियम 5 (III) (ख) में निदेशक स्थानीय निकाय विभाग के स्थान पर उप शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग सदस्य होंगे।

3. भू-उपयोग के परिवर्तन के प्रकरणों में न्यास के योजना क्षेत्रों तथा नगरपालिका सीमा के बाहर के क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन का कार्य सम्बन्धित न्यास द्वारा किया जावेगा। नगरपालिका सीमा क्षेत्र में नगरपालिका/परिषद् द्वारा न्यास की ऐसी योजनाओं, जो उन्हें हस्तांतरित नहीं हुई है, को छोड़ते हुए भू-उपयोग परिवर्तन किया जावेगा। इन प्रकरणों में प्राप्त राशि भी उपरोक्तानुसार ही सम्बन्धित न्यास/परिषद्/निगम/पालिका में जमा करवाई जावेगी।

4. भू-उपयोग परिवर्तन के ऐसे प्रकरण, जिनमें निर्माण कार्य ड्राफ्ट मास्टर प्लान/मास्टर प्लान के उपयोग के विपरीत दिनांक 4 अप्रेल, 2000 तक कर लिया गया है, उनमें भू-उपयोग परिवर्तन का संबंधित समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.9.2000 तक होगी। इस अवधि तक सामान्य दर से कुल देय राशि जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित समितियों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 4 अप्रेल, 2000 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जावेगा।

(जी.एस. संधु)
शासन सचिव